(63)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 4515–दो/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–11–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 92/13–14/अपील.

तेजसिंह पिता श्री बापूसिंह
निवासी ग्राम सिंदोडी तहसील व जिला इंदौर .....आवेदक

विरूद्ध

राधेश्याम पिता बापूसिंह
निवासी ग्राम सिंदोडी तहसील व जिला इंदौर .....अनावेदक

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम0एस0तोमर, अभिभाषक, अनावेदक

:: आदेश ::

(आज दिनांक 10/8/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उभयपक्ष सहित अन्य परिवार के सदस्यों के नाम से ग्राम सिंदोडी तहसील व जिला इंदौर स्थित भूमि रकबा 8.193 हेक्टेयर है । उक्त भूमि के बटवारे हेतु आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 23–3–09 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 1–9–11 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का

आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि में हित रखने वाले सभी पक्षों को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुणदोष के आधार पर निराकरण करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–11–13 को आदेश पारित कर यह निष्कर्ष निकालते हुये कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अंतरिम प्रकृति का आदेश पारित किया गया है जिसके विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है और निगरानी सुनने की अधिकारिता अपर आयुक्त को नहीं है, अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालने में त्रुटि की गई है कि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश अंतरिम प्रकृति का आदेश है जबकि विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त होने से संबंधित पक्षकार प्रभावित होते हैं और ऐसा आदेश अंतिम आदेश की परिधी में आता है जिसके विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष अपील ही प्रस्तुत होगी ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का पालन करते हुये बटवारा आदेश पारित किया गया था जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) तहसीलदार द्वारा सभी सहखातेदारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है, परन्तु तहसील न्यायालय में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर समग्र विवेचन किये बिना अपील अग्राह्य करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

तर्क के समर्थन में 1983 आरएन 279, 1982 आरएन 371 एवं 1986 आरएन 303 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया एवं सहखातेदारों को सूचना नहीं दी गई है केवल यह उल्लेख करते हुये कि सहखातेदारों द्वारा सूचना लेने से इंकार किया गया है, चस्पीदगी से तामीली कराई गई है जो कि विधिवत् तामीली नहीं मानी जा सकती है । यह भी तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा बटवारा नियमों के तहत फर्द बटवारे का प्रकाशन नहीं किया गया है और न ही उस आपत्ति आमंत्रित की गई है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अधीनस्थ दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत एवं न्यायसंगत होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है जबकि वह प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार है । यहॉ तक कि अनावेदक पर सूचना की भी विधिवत् तामीली नहीं कराई गई है । फर्द बटवारा भी प्रथमदृष्टया असामान्य होकर एकतरफा दिखलाई पड़ता है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में पूर्णतः वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई भी त्रुटि नहीं की गई है । अतः अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–11–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर